

[ Extract from Haryana Government Gazette (Extra.), dated the 7th November, 2013 ]

हरियाणा सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

दिनांक 7 नवम्बर, 2013

संख्या 1/18/88-2एच0बी0 II-97.—गर्भधारणपूर्व तथा प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (1994 का केन्द्रीय अधिनियम 57), की धारा 17 की उप धारा (3) के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, स्वास्थ्य विभाग, अधिसूचना संख्या 1/18/88-2एच0बी0-II-97, दिनांक 4 मार्च, 2009 के अधिक्रमण में हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, जिला के लिये समुचित प्राधिकरण तुरन्त प्रभाव से नियुक्त करते हैं जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात् :-

- |   |         |
|---|---------|
| 1. सिविल सर्जन                                      | अध्यक्ष |
| 2. जिला प्रोग्राम अधिकारी महिला तथा बाल विकास विभाग | सदस्य   |
| 3. जिला न्यायावादी                                  | सदस्य   |

चण्डीगढ़:  
दिनांक 5 नवम्बर, 2013

नवराज सन्धु,  
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
स्वास्थ्य विभाग।

51661—C.S.—H.G.P., Chd.